

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4  
 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कानूनी नियम और आदेश  
 रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 9-7-1982

का० नि० आ० 189. केन्द्रीय सरकार, सेना और वायु सेना  
 प्रॉइवेट सम्पत्ति का व्ययन अधिनियम, 1950 का 40 का  
 द्वारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना और  
 वायु सेना प्रॉइवेट सम्पत्ति का व्ययन नियम, 1953 का और  
 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना और वायु सेना प्रॉइवेट सम्पत्ति का व्ययन संशोधन नियम, 1982 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सेना और वायु सेना प्रॉइवेट सम्पत्ति का व्ययन नियम, 1953 के नियम 21 के खण्ड 2 में "कार्मिक निदेशक" के स्थान पर "व्यक्तिक सेवा निदेशक" रखा जाएगा।

राज कुमार धीर  
 उप सचिव वायु

फाइल सं० का से मु/सी 25510/लीगल/डी ओ टू बी डी एयर - 111

नोट : मूल सेना और वायु सेना प्रॉइवेट सम्पत्ति का व्ययन नियम 1953 का० नि० आ० 308 तारीख 11 जुलाई 1953, भारत का राजपत्र 1953 भाग 2 विभाग 4 द्वारा प्रकाशित हुए। तत्पश्चात् संशोधित हुए, द्वारा

का नि आ 350	तारीख 1	दिसम्बर 1959
का नि आ 18	तारीख 15	जनवरी 1960
का नि आ 110	तारीख 28	मार्च 1962
का नि आ 133	तारीख 2	मई 1962
का नि आ 256	तारीख 14	सितम्बर 1962
का नि आ 271	तारीख 14	जुलाई 1964
का नि आ 94	तारीख 5	मार्च 1965